

विषयक

सचिव  
प्राविधिक शिक्षा परिषद  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

प्रमुख सचिव  
बबुआ जी स्नातक महाविद्यालय सचिव  
गाँव नं० 100 पिण्डी, जिला-देवरिया।  
संस्था का नाम - बबुआ जी कॉलेज ऑफ फार्मसी,  
गाँव जगदल, पो०-पिण्डी, देवरिया।

पत्रांक- प्राशप/परिषद/2022/8539

लखनऊ दिनांक- 05-09-2022

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56/2022-VI(B)(Mentorium)/13220-22, 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुमति किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 (संशोधित) 1974 की धारा-12(1) में प्रस्ताव अधिकारी के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनपत्र ही सम्बद्धता की स्वीकृति पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०), नई दिल्ली को संदर्भ संख्या 14-56/2022-VI(B)(Mentorium)/13220-22, 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 एवं इस संबंध में निर्गत पी०सी०आई० के पूर्ण पत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृति द्वारा दी गयी संसुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिष्ठान को प्राप्त प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व परिषद द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक हेतु प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही मान्य होगा। साथ ही पी०सी०आई० एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर करवाया जाएगा। पी०सी०आई०/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति/अनापत्ति प्रस्ताव से निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

(एफ० आर० खान)

सचिव

दिनांक- 05-09-2022

पोस्टो प्राशप/परिषद/2022/8540-41

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. सचिव-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एन०बी०सी०सी०, सॉफ्टर तृतीय तल, प्लॉट नं० 2, कम्युनिटी सेंटर, गाँव आनन्दगढ़, मार्ग, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020

बबुआ जी कॉलेज ऑफ फार्मसी  
पिण्डी, देवरिया

(एफ० आर० खान)

सचिव